

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-42/2019/

दिनांक:-

--:आदेश:-

निम्नलिखित कार्मिकों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	शमीम अली हाशमी	नर्स प्रथम	कोटा	07.02.1959	28.02.2019
2.	मूलचन्द नागर	नर्स प्रथम	बारां	13.02.1959	28.02.2019
3.	बाबू लाल	नर्स प्रथम	बारां	07.03.1959	31.03.2019
4.	कान्त असवाल	नर्स प्रथम	बूंदी	01.04.1959	31.03.2019
5.	विजयम्मा वी०पी०	नर्स प्रथम	जयपुर	25.04.1959	30.04.2019
6.	अनम्मा जे०एन०	नर्स प्रथम	जयपुर	01.05.1959	30.04.2019
7.	शिशु माल पूनिया	नर्स प्रथम	चूरु	05.04.1959	30.04.2019
8.	सत्यनारायण भट्ट	नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	02.05.1959	31.05.2019
9.	मेरी कुट्टी वी०डी	नर्स प्रथम	जयपुर	05.05.1959	31.05.2019
10.	अन्ना वर्गीस	नर्स प्रथम	बांसवाडा	28.05.1959	31.05.2019
11.	बद्रीलाल नागर	नर्स प्रथम	बारां	16.06.1959	30.06.2019
12.	मागीलाल विश्वाजी	नर्स प्रथम	नागौर	08.06.1959	30.06.2019
13.	सुरेश चन्द शर्मा	नर्स प्रथम	भरतपुर	10.07.1959	31.07.2019
14.	प्रेम लता वर्मा	नर्सिंग अधीक्षक	कोटा	04.07.1959	31.07.2019
15.	उज्जवल कुमार	नर्स प्रथम	जयपुर	22.10.1959	31.10.2019
16.	ज्ञानेश्वर प्रसाद शर्मा	नर्स प्रथम	कोटा	11.10.1959	31.10.2019
17.	दिनेश कुमार द्विवेदी	नर्स प्रथम	कोटा	22.10.1959	31.10.2019
18.	अमर सिंह डीगवाल	नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	जयपुर	10.12.1959	31.12.2019
19.	अणदाराम	नर्स प्रथम	नागौर	20.12.1959	31.12.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-42/2019/79

दिनांक:- 18/9/19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. निदेशक, (क.रा.बी योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित अधीक्षक, अलग्ग चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर